31-5-19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद निर्णित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

3[illegible]-8-19 अप्रार्थी पप्पू पुत्र हरनारायण, मीना नि० गंगापुर के अधिवक्ता के प्रा०पत्र पर पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी ने प्रा०पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि निर्णय दि० 31-5-19 में टाइपिंग भूल से प्रथम पेज की लाइन सं० 13 व 14 एवं द्वितीय पेज की लाइन सं० 1 पर ख०नं० 278/322 टाइप हो गया है जिसे शुद्ध किया जाकर ख०नं० 278/332 अंकित किया जावे।

प्रस्तुत प्रा०पत्र पर निर्णय का व दावे का अवलोकन किया गया। निर्णय में प्रथम पृष्ठ की लाइन नं० 13 व 14 तथा द्वितीय पृष्ठ की लाइन नं० 1 में ख०नं० 278/322 टाइप हो गया है जबकि सही ख०नं० 278/332 है। यह एक टाइप मिस्टेक है जिसे शुद्ध किए जाने से दावे के निर्णय पर कोई असर नहीं आता है। अतः प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दि० 31-5-19 के प्रथम पृष्ठ की लाइन नं० 13 व 14 तथा द्वितीय पृष्ठ की लाइन नं० 1 में अंकित ख०नं० 278/322 के स्थान पर ख०नं० 278/332 अंकित करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार मूल निर्णय मे दुरुस्ती की गई। पत्रावली पूर्वानुसार निर्णित शुमार हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

[illegible] वास्ते
[illegible] हो।

न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर.ए.एस., उप जिला
कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
194/2008	12.12.2008	31.5.2019

1. मोहन कुमार पुत्र रामदयाल, अग्रवाल महाजन, गंगापुर सिटी
2. कान्ता देवी पुत्री रामदयाल, अग्रवाल महाजन, गंगापुर सिटी
3. मिथलेश पुत्री रामदयाल, अग्रवाल महाजन, गंगापुर सिटी
4. उर्मिला पुत्री रामदयाल, अग्रवाल महाजन, गंगापुर सिटी
5. सुशीला पुत्री रामदयाल, अग्रवाल महाजन, गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. मोतीचन्द पुत्र हरनारायण, मीना, कल्याणजी गेट, गंगापुर सिटी
2. अमरसिंह पुत्र हरनारायण, मीना, कल्याणजी गेट, गंगापुर सिटी
3. मुकेश पुत्र हरनारायण, मीना, कल्याणजी गेट, गंगापुर सिटी
4. बत्तीलाल पुत्र हरनारायण, मीना, कल्याणजी गेट, गंगापुर सिटी
5. रामू पुत्र हरनारायण, मीना, कल्याणजी गेट, गंगापुर सिटी
6. मोहनलाल पुत्र हरनारायण, मीना, कल्याणजी गेट, गंगापुर सिटी
7. कंचन पत्नी हरनारायण,मीना,कल्याणजी गेट,गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञात्मक निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री बृजनन्दन दीक्षित, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि साबिक खसरा नं0 43 रकबा 9 बीघा 12 विस्वा ग्राम हिगोंट्या वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। भू–प्रबन्ध में इसके ख0नं0 79 रकबा 1.85 है0 कायम किया गया है और वादीगण को 55 एयर भूमि कमदी गई है जिसके बाबत् वादीगण ने इसी न्यायालय में दावा दायर किया और दिनांक 21.7.2008 को वादीगण का दावा स्वीकार होकर ख0नं0 79 रकबा 2.00 है0 किया जाकर उत्तर की चोंचनुमा भूमि जिसे हाल ख0नं0 82 का बताया है, का वादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया गया है। साबिक ख0नं0 43 रकबा 11 बीघा 12 विस्वा ग्राम हिंगोट्या में रहा है जिसमें से वादीगण ने 9 बीघा 12 विस्वा भूमि क्रय की है जिसका नवीन ख0नं0 79 रकबा 2.00 है0 कायम हुआ है, शेष बचे रकबा 2 बीघा का हाल ख0नं0 78 रकबा 52 एयर बना है। साबिक ख0नं0 185 रकबा 16 बीघा 18 विस्वा ग्राम महानन्दपुर में स्थित रहा है जिसका हाल ख0नं0 278/322 (278/332 (आ० दि० 20-6-19 से शुद्ध किया गया)) रकबा 4.30 है0 कायम हुआ है। खसरा 278/322 (278/332 (आदेश दि० 20-6-19 से शुद्ध किया गया)) में से 1 बीघा भूमि खातेदारान ने विक्रय कर दी । इस

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

278/332 (आदेश दि० 30-8-19 से शुद्ध किया गया)

प्रकार ख0नं0 278/322 का रकबा 4.05 है0रह गया तथा बची 1 बीघा भूमि का ख0नं0 369/332 रकबा 25 एयर कायम हुआ है। हाल ख0नं0 79 रकबा 2.00 है0 जिसमें उत्तरी चोंचनुमा भूमि शामिल है, वादीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि है जिससे प्रतिवादीगण का कोई वास्ता नहीं है। इस नम्बर का मौके पर एक ही खेत बना हुआ है। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं एवं वादीगण की उक्त चोंचनुमा भूमि जो नक्शा ट्रेस में ख0नं0 79 है, पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण ने इस चोंचनुमा भूमि पर नाजायज कब्जा करने के उद्देश्य से दिनांक 11.12.2008 को नींव खोदकर पुख्ता डंडा निर्माण चालू कर दिया। वादी संख्या 1 ने मना किया तो प्रतिवादीगण वादी सं0 1 को जान से मारने पर उतारू हो गए एवं कहने लगे हम इस भूमि पर कब्जा कर प्लाट काटकर दीगर लोगों को विक्रय करेंगे व निर्माण करेंगे। प्रतिवादीगण ने 250 फीट लम्बाई में से करीब 100 फीट लम्बाई में ज्यादा लेवर लगाकर डंडा बना लिया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि ख0नं0 79 रकबा 2.00 है0 जिसमें उत्तर की चोंचनुमा भूमि में कोई निर्माण नहीं करें, भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करें तथा भूमि के उपयोग उपभोग में वादीगण को कोई मजाहमत पैदा नहीं करें। प्रतिवादीगण को आज्ञात्मक निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उन्होने जो पक्के डंडे का निर्माण किया है को हटवाया जाकर भूमि वैकेट फरमाई जावे।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादीगणने अपने जबाब में अंकित किया है कि साबिक ख0नं0 43 रकबा 9 बीघा 12 विस्वा के नवीन ख0नं0 78 रकबा 52 एयर एवं ख0नं0 79 रकबा 1.85 है0 कुल 2.37 है0 बनाए गए हैं जो साबिक रकबे से 3 एयर कम है। इस प्रकार वादी का यह लिखना कि सेटिलमेंट विभाग ने उसकी 55 एयर भूमि कम कर दी है गलत है। चोंचनुमा भूमि से वादीगण का कोई वास्ता नहीं है। इस पर वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। यह भूखण्ड प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में अरसे दराज से चली आ रही है जिसमें प्रतिवादीगण के लगभग 300 पेड सफेदे के लगे हुए हैं। वादीगण का कब्जा राजस्व अभिलेख अनुसार ख0नं0 79 के 1.85 है0 व ख0नं0 78 के 52 एयर कुल 2.37 है0 पर ही चला आ रहा है। ख0नं0 79 की उत्तरी भूमि चोंचनुमा

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

खसरा ख0नं0 82 से मिलकर एक खेत बना हुआ मौके पर नहीं है बल्कि खसरा 79 एवं ख0नं0 82 व उत्तरी चोंचनुमा भाग के मध्य प्रतिवादीगण द्वारा बनाई गई पत्थरों की दीवार बनी हुई है। इस प्रकार दोनों खसरा नम्बरान अलग अलग खेत बने हुए हैं। जबाब के विशेष विवरण में प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि वादीगण ने दावा गलत आधार पर प्रस्तुत किया है। तथाकथित साबिक ख0नं0 43 का रकबा 9 बीघा 12 विस्वा बताया गया है जिसके वर्तमान ख0नं0 78 रकबा 0.52 है0 एवं ख0नं0 79 रकबा 1.85 है0, खसरा 43 मिन से बने हुए हैं। वर्तमान पैमाइश अनुसार 9 बीघा 12 विस्वा का रकबा 2.40 है0 बनता है। ख0नं0 78 व 79 की कुल भूमि 2.37 है0 है जो साबिक से मात्र 3 एयर कम है। वर्तमान ख0नं0 79 से लगता हुआ ख0 [illegible] तथा अन्य नम्बरान भी हैं परन्तु ख0नं0 81 रकबा 0.42 है0 का साबिक ख0नं0 54 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा है जो वर्तमान पैमाइश अनुसार [illegible] है0 बनता है जिसमें वर्तमान में 0.05 है0 भूमि अधिक है। इस प्रकार वादीगण की भूमि ख0नं0 81 में शामिल की गई है। वादीगण ने सही दावा प्रस्तुत नहीं किया है। ख0नं0 78 पर गलत इन्द्राज बहक चन्द्रप्रकाश पुत्र [illegible] प्रसाद, अशोक कुमार पुत्र चिरंजी लाल डांस, हेमलता पत्नी अवतार [illegible] है जो आवश्यक पक्षकार हैं जबकि साबिक अनुसार वादी की भूमि व अन्य पडौसी काश्तकार उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार हैं। इसके अलावा शामिल ख0नं0 81 के काश्तकारान के विरूद्ध भी इन्द्राज दुरूस्ती का दावा किया जाना चाहिए था। इस प्रकार वादीगण का दावा इनफेक्चुअस होने के कारण मय खर्चा खारिज होने योग्य है। साबिक नम्बर एवं वर्तमान नम्बर की सही दुरुस्ती कराए बिना एवं आवश्यक पक्षकारों के अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है। वादीगण द्वारा वर्णित तथाकथित डिक्री दिनांक 21.7.2008 गलत एवं [illegible] देकर प्राप्त की गई है जो एवइनिशिओ वोइड होने के कारण निरस्त होने योग्य है। वादीगण ने तथाकथित दावा खाली चरागाह भूमि बताकर गलत डिक्री कराया गया है जो अवैध होने के कारण प्रभावशुन्य है। इस डिक्री से प्रतिवादीगण पाबंद नहीं है। विवादित भूखण्ड चोंचनुमा भाग पर प्रतिवादीगण का कदीमी कब्जा काश्त रहा है जिसमें प्रतिवादीगण का पुख्ता [illegible] व कदीमी सफेदे के पेड मौजूद है। कब्जे के अभाव में भी वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दावा व जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः–

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

1. क्या भूमि ख0नं0 43 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा ग्राम हिंगोट्या वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसके भू–प्रबन्ध में नवीन ख0नं0 79 रकबा 1.85 हैक्टर कायम हुआ है जो साबिक रकबे से 55 एयर कम है। इसकी पूर्ति हेतु वादीगण ने दावा दायर किया जिसमें उत्तर की चोंचनुमा भूमि जिसे हाल ख0नं0 82 का बताया है का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर ख0नं0 79 का रकबा 2.00 हैक्टर किया गया। ––वादीगण

2. क्या वादीगण की चोंचनुमा भूमि पर कब्जा करने की नियत से दिनांक [illegible] को प्रतिवादीगण ने इसमें नींव खोदकर पुख्ता डंडा निर्माण चालू कर दिया एवं वादीगण के रोकने पर वादी संख्या 1 को जान से मारने को आमादा हो गए तथा प्रतिवादीगण ने 250 फीट लम्बाई में से 100 फीट लम्बाई में डंडा बना लिया। ––वादीगण

3. क्या वादीगण भूमि ख0नं0 79 रकबा 2.00 हैक्टर में उत्तर की चोंचनुमा भूमि में कोई निर्माण नहीं करने, भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करने, उक्त भूमि में प्रतिवादीगण ने जो डंडा निर्माण किया है उसे हटवाने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं।––वादीगण

4. क्या साबिक ख0नं0 43 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा का नवीन नम्बर 78 रकबा 12 एयर एवं ख0नं0 79 रकबा 1.85 हैक्टर बनाया गया है को साबिक रकबे से मात्र 3 एयर कम है। ––प्रतिवादीगण

5. क्या वादी का यह कहना कि चोंचनुमा भू–भाग ख0नं0 82 का भाग है गलत है। इस भू–भाग पर वादी का कभी कब्जा नहीं रहा है और इस भू–भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। वादीगण ने उनके पक्ष में डिक्री गलत रूप से प्राप्त की है। ––प्रतिवादीगण

6. क्या वादीगण ने गलत आधार पर दावा पेश किया है एवं वादग्रस्त भूमि चोंचनुमा पर वादीगण का कब्जा भी नहीं है फलस्वरूप वादीगण का यह दावा खारिज होने योग्य है।

7. अनुतोष ।

वादपत्र के समर्थन मे वादीगण ने नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध ग्राम हिंगोट्या व महानन्दपुर, नकल जमाबंदी सं0 2033 से 2036, नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070, नकल जमाबंदी सं0 2025 से 2028, नकल जमाबंदी सं0 2066 से 2069, नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी सं0 2024 से 2027, नकल साबिक नक्शा ट्रेस ग्राम महानन्दपुर व हिंगोट्या, नकल जमाबंदी सं0 2063 से 2066, फोटोकोपी नकल निर्णय व डिक्री दि0 21.7.08 प्रस्तुत किए हैं।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

जवाब के समर्थन मे प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

दिनांक 18.3.2019 को पक्षकारान ने हाजिर अदालत होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। राजीनामे में पक्षकारों ने अंकित किया है कि पक्षकारान में इस प्रकार राजीनामा हो गया है कि विवादित भूमि 15 एयर चोंचनुमा उत्तर की ओर वादी की खातेदारी की भूमि है जिस पर कब्जा वर्तमान में प्रतिवादीगण का चला आ रहा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए तथा वादी को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु उक्त विवादित भूमिखण्ड को प्रतिवादीगण को देकर उस 15 एयर भूमि के बदले में प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा 278/332 में से 30 फीट गुणा 530 फीट का रास्ता उत्तर से दक्षिण वादी की भूमि ख0नं0 79 की डोल को टच करते हुए आरपार भूमि ख0नं0 79 तक रहेगा। उक्त रास्ते के आवागमन में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण की भूमि में से रास्ते की भूमि के बदले वादी की भूमि चोंचनुमा उत्तरी ओर की आपसी अदला बदली कर विवाद को समाप्त कर लिया है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अब कोई विवाद नहीं रहा है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी मुताबिक राजीनामा फैसल फरमाया जावे।

बहस विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण ने राजीनामे के अनुसार वाद का निस्तारण करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख , पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे का अवलोकन किया। राजीनामा अनुसार वादी का वाद निर्णित किया जाना उचित है।

आदेश

अतः पक्षकारों द्वारा दिनांक 18.3.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण का यह दावा निर्णित किया जाता है। पक्षकारान राजीनामा अनुसार भूमि की नियमानुसार अदल बदल कर राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती करवा लेवें। राजीनामा निर्णय का हिस्सा होगा। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.5.2019 को सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई **Judi/Civil**

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी) **Part IV - 10**

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

बअदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. मोहन कुमार पुत्र रामदयाल, अग्रवाल महाजन, गंगापुर सिटी
2. कान्ता देवी पुत्री रामदयाल, अग्रवाल महाजन, गंगापुर सिटी
3. मिथलेश पुत्री रामदयाल, अग्रवाल महाजन, गंगापुर सिटी
4. उर्मिला पुत्री रामदयाल, अग्रवाल महाजन, गंगापुर सिटी
5. सुशीला पुत्री रामदयाल, अग्रवाल महाजन, गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र हरनारायण, मीना, कल्याणजी गेट, गंगापुर सिटी
2. कमलसिंह पुत्र हरनारायण, मीना, कल्याणजी गेट, गंगापुर सिटी
3. हरकेश पुत्र हरनारायण, मीना, कल्याणजी गेट, गंगापुर सिटी
4. बत्तीलाल पुत्र हरनारायण, मीना, कल्याणजी गेट, गंगापुर सिटी
5. पप्पू पुत्र हरनारायण, मीना, कल्याणजी गेट, गंगापुर सिटी
6. मोहनलाल पुत्र हरनारायण, मीना, कल्याणजी गेट, गंगापुर सिटी
7. कंचन पत्नी हरनारायण,मीना,कल्याणजी गेट,गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञात्मक निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –164/2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री बृजनन्दन दीक्षित, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व पक्षकारों द्वारा दिनांक 18.3.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण का यह दावा निर्णित किया जाता है। पक्षकारान राजीनामा अनुसार भूमि की निम्नानुसार अदल बदल कर राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती करवा लेवें। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.5.2019 को जारी किया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपय
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान	

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.26 16:46:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: